पटवारी रिपोर्ट

श्रीमान जी ग्राम - बड़ाखा की वर्तमान जमाबंदी के खाता सं. 596, 597 में भाभी गिरधर सिंह पुत्र घीसू सिंह जाति - राजपूत का नाम जरिये विरासत के नाम से राजूसिंह पुत्र घीसूसिंह दर्ज हो गया है, जबकि भाभी का नाम अन्य दस्तावेजों में सही नाम गिरधर सिंह पुत्र घीसू सिंह है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में भाभी का सही नाम गिरधरसिंह पुत्र घीसूसिंह दर्ज किया जाना उचित होगा

पटवारी
बड़ाखा
8/10/25

भू अभिलेख निरीक्षक की जॉच रिपोर्ट

मुताबिक हल्का पटवारी रिपोर्ट अनुसार व संलग्न दस्तावेजों अनुसार अंकन दुरुस्त है

भू.अ.नि.
03/10/25

तहसीलदार की रिपोर्ट

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अ.नि. यथायुक्तवित

शिविर प्रभारी
तहसीलदार (भू. अ.) नसीराबाद

प्रभारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर–2025"

क्रमांक/342 दिनांकः– 10-10-25

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरूस्ती हेतु निवेदन किया गया है एव इस दुरूस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू.अभिलेख निरीक्षक की जॉच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण मे ग्राम .....तहसील नसीराबाद की जमाबंदी सम्वत्..... के खाता संख्या .....में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

क्र स	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
	प्रकरण में इन्द्राज दुरुस्ती सिद्ध नहीं होने के कारण प्रकरण खारिज किया जाता है।					

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 17:14:40 IST
Reason: SelfAttested

क्रमांक:- 1006 दिनांक:- 10-10-25

प्रतिलिपि:- 1. तहसीलदार नसीराबाद।
2. आदेश पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद, जिला अजमेर